आज ही / समयबद्ध

अति महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः 328 / अड़तीस–5–2017–6सम / 2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक / मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 17 अप्रैल, 2017

विषयः– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों (हैण्डपम्पों / पाइप पेयजल योजनाओं / टी0टी0एस0पी0 आदि) को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

2– प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे "एलर्ट" पर रखा जाय ताकि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मशीनरी सक्रिय रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।

3– प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या की सूचना ग्रामीण जनता से प्राप्त करने एवं सूचना के आधार पर पेयजल समस्या के त्वरित समाधान सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय एवं एक कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया जाय, जिसे जनपद के तहसीलों / विकास खण्डों / ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाय। सभी नोडल अधिकारियों एवं कन्ट्रोल रूम के लैण्ड लाइन एवं मोबाइल नम्बर भी अनिवार्य रूप से जनपदों / तहसीलों / विकास खण्डों / ग्राम पंचायतों में प्रसारित किये जाय।

4– इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास अनुभाग–5 द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–235 / अड़तीस–5–17–21एम / 99, दिनांक 28 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या–220 / अड़तीस–5– 17–6सम / 17, दिनांक 28 मार्च, 2017, 253 / अड़तीस– 5–17–6सम / 17, दिनांक 28 मार्च, 2017, 279 / अड़तीस–5–17–6सम / 17, दिनांक 05 अप्रैल, 2017 एवं 294 / अड़तीस–5–17– 6सम / 17, दिनांक 08 अप्रैल, 2017 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन त्वरित गति से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

5– उपर्युक्त समस्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की गम्भीर समस्या वाले क्षेत्रों विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड जैसे भौगोलिक स्थिति वाले प्रदेश के अन्य जनपदों (सोनभद्र, मीरजापुर, इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर, चन्दौली, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर आदि) में प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–328(1) / अड़तीस–5–2017, तद्‌दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

17/4/17

C:\Users\Acer\Desktop\letter go 1.docx